न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 32/2016 अपील नामा0

उनवान

श्री रामजस पिता काना मीणा निवासी मीणा की कोटड़ी त0शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

बनाम

1.श्रीमती लादी पत्नि बालूदास निवासी महुला
2.श्री सियाराम पिता बालूदास निवासी महुला
3.मंजू पुत्री बालूदास निवासी महुला
4.श्री रामचन्द्र पिता उदयलाल दरोगा नि0 महुला त0शाहपुरा जिला भीलवाड़ा
5.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शाहपुरा

——अपीलार्थी

——प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्व आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले नामान्तरकरण संख्य 774 दिनांक 09.06.2016 ग्राम महुला प0म0 बलाण्ड त0शाहपुरा

उपस्थितः– श्री रणवीर सिंह अधि0, अपीलार्थी की ओर से
श्री रमेश चेचाणी, अधि0 प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की ओर से

निर्णय

दिनांक :– 23/03/2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले नामान्तरकरण संख्या 774 निर्णय दिनांक 09.06.2016 के खिलाफ प्रस्तुत की गई। जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट रामजस की भूमि ग्राम मुहला में आराजी नम्बर 92 व 93 की खातेदारी अधिकारों की राजस्व रेकार्ड दर्ज चली आ रही है तथा अपीलान्ट ने घीसा पिता छोगा मीणा से प्राप्त की। सदैव से भूमि अनुसूचित जाति के व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों की रही है। रेस्पोडेन्ट ने व अपीलान्ट के बीच न कोई वाद चला तथा न कोई डिक्री ही बनी मातहत अदालत ने रेकार्ड का अवलोकन किये व कब्जे की जांच किये बगैर बिना किसी तथ्य के रेकार्ड पर लिये तथाकथित आदेश पारित कर दिया जबकि आ0नं0 92 व 93 से रेस्पोडेन्ट्स का कभी कोई वास्ता ही रहा है तथा नहीं किसी कदर कब्जा ही रहा है। मातहत अदालत ने बिना किसी विधिक प्रक्रिया को अपनाये व रेकार्ड का अवलोकन किये अपीलान्ट जो जाति से मीणा है तथा रेस्पोडेन्ट्स जो स्वर्ण जाति के है जिनके नाम अपीलान्ट की भूमि किसी भी कदर नहीं की जा सकती है तथा जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

विपरीत है, इस प्रकार न्यायालय मातहत में वास्तविक तथ्यों को जाने बगैर व कानून का देखे व सही प्रक्रिया व कब्जे की जांच किये बगैर आदेश दिया जो विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिज के है। आलोच्य निर्णय में जिन मुकदमात का हवाला दिया गया उनसे अपीलान्ट का कोई वास्ता ही रहा है तथा न उसकी कभी कोई किसी कार्यवाही में भागीदारी रही है तथा न वह कहीं पक्षकार रहा है इस कारण उक्त निर्णय विधि विरूद्ध होने से काबिल खारिजी के है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर आलोच्य नामान्तरकरण को निरस्त फरमाकर अपीलान्ट को न्याय प्रदान कराया जावे व उक्त नामान्तरकरण धारा 42 के प्रावधानों के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 04.08.2016 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थीगण को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 की ओर से विद्वान अभिभाषक उपस्थित आए शेष प्रत्यर्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं हुए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा से ग्राम मुहला प0म0 बलाण्ड के नामान्तरकरण संख्या 774 की प्रति प्राप्त हुई।

वकील अपीलान्ट के द्वारा अपील के साथ ग्राम मुहला के नामान्तरकरण संख्या 774 निर्णय दिनांक 09.06.2016 की प्रमाणित फोटो प्रति पेश की है अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए।

उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गयी ।

बहस में वकील अपीलान्ट ने अपील के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रेकार्ड की जांच किए एवं पक्षकारों सुने बिना ही नामान्तरकरण विधि विरूद्ध निर्णित किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमा ना0सं0 774 को निरस्त फरमाया जावे। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ना0सं0 774 डिक्री से निर्णित किया जो विधिसम्मत है। अपीलान्ट को इसके लिए डिक्री की अपील करनी चाहिए जो नहीं कर नामान्तरकरण को खारीज किए जाने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जो चलने योग्य नहीं है अतः मय खर्चा के अपील अपीलान्ट खारीज फरमाई जावे।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी ने अपने अपील मेमों के साथ प्रस्तुत नामान्तरकरण संख्या 774 की प्रमाणित फोटा प्रति प्रस्तुत की इसके अतिरिक्त अन्य कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए हैं। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार शाहपुरा से भी नामान्तरकरण संख्या 774 की प्रति प्राप्त हुई । उक्त नामान्तरकरण के पुस्त पर अंकित निर्णय अनुसार डिक्री से खाता संख्या 330 के खसरा संख्या 92 रकबा 0.87, खसरा संख्या 93 रकबा 0.50 कुल कीता 2 कुल रकबा 1.37 पर रामचन्द्र पिता उदयलाल दरोगा 1/2 लादी बेवा बालूदास, सियाराम पिता बालूदास साधु सा0

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाड़ा (राज.)

दह मंजू पुत्री बालूदास पत्नि मिठूदास साधू 1/2 सा0 घटियाली खातेदार दर्ज किये जाने का लाल स्याही से अंकन है। इससे यह स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उच्च न्यायालय से जारी डिक्री की पालना में नामान्तरकरण संख्या 774 दिनांक 09.06.2016 को जारी किया वह विधिसम्मत है। अपील एक फिसकल प्रोसीडिंग है जिससे किसी के हकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता है। इसके लिए अपीलान्ट को नामान्तरकरण में दर्ज डिक्री एवं आदेश को अपास्त कराने के लिए विधिवत सक्षम न्यायालय में वाद /अपील दायर कर दाद प्राप्त की जानी चाहिये। अपीलान्ट सक्षम न्यायालय में वाद/अपील दायर करने के लिए स्वतंत्र है। प्रश्नगत अपील निरस्त योग्य है। अतएव–

आदेश

अपीलार्थी की ओर से यह अपील रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत विरूद्ध आदेश तहसीलदार, शाहपुरा बमामले नामान्तरकरण संख्या 774 निर्णय दिनांक 09.06.2016 जो डिक्री से निर्णित किया गया है जिसे इस अपील के माध्यम से निरस्त नहीं किया जा सकता है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार शाहपुरा को प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 23.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/03/17

(एल0आर0गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा